क्रमांक 22/14/96-3जी.एस.-III

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 22-5-1996

विषय :— सम्पन्न व्यक्तियों (क्रीमी लेअर) को पिछड़ी श्रेणी से निकालना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उरोक्त विषय की ओर दिलाने व यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस सम्बन्ध में उपायुक्त, करनाल द्वारा कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था । विचारोपरान्त सरकार ने उपायुक्त, करनाल द्वारा उठाए गए निम्नलिखित बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया है :—

क्र.सं०	उपायुक्त, करनाल द्वारा उठाया गया बिन्दु ।	सरकार द्वारा लिया गया निर्णय ।
2.	आयुक्त एवं सचिव, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के पत्र क्र. 1170-ए. डब्ल्यू (I)-95, दिनांक 7-6-1995 द्वारा जारी हिदायतों में यह स्पष्ट नहीं है कि जिस वर्ग को "क्रीमी लेअर" में रखते हुए आरक्षण का लाभ न देने का निर्णय लिया गया है-यह Exclusion सर्टीफिकेट जारी करते समय देखा जाता हैं या सम्बन्धित विभाग द्वारा देखा जाना है ।	चूंकि जाति प्रमाण पत्र उपायुक्त के कार्यालय द्वारा दिये जाते हैं इसलिए क्रीमी लेअर का प्रमाण पत्र भी उपायुक्त के कार्यालय द्वारा ही देखा जाना होगा कि विशेष व्यक्ति हिदायतों अनुसार आरक्षण का लाभ लेने का पात्र है अथवा नहीं ।
2.	जो "क्रीमी लेअर" केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई है, वह राज्य द्वारा निर्धारित "क्रीमी लेअर" से भिन्न है। अतः राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा दोनों में भिन्नता करना कठिन कार्य है ।	चूंकि "क्रीमी लेअर" बारे भारत सरकार द्वारा जो माप-दण्ड बनाया गया है वह राज्य सरकार द्वारा बनाये गए क्रीमी लेअर के मापदण्डों से भिन्न है, इसलिए उपायुक्त कार्यालय द्वारा जाति एवं क्रीमी लेअर बारे प्रमाण पत्र केन्द्रीय सेवाओं के लिए केन्द्र सरकार की हिदायतों अनुसार निर्धारित प्रोफोर्मा में दिया जाना है । इस के अतिरिक्त राज्य सरकार की सेवाओं हेतु जाति तथा क्रीमी लेअर का प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा की हिदायतोंनुसार दिया जाना है ।
3.	सम्बन्धित विभाग द्वारा चुने हुए अभ्यार्थियों से "क्रीमी लेअर" बारे शपथ पत्र या अन्य सबूत लेना उचित प्रतीत होता है ।	चूंकि जाति एवं "क्रीमी लेअर" का प्रमाण पत्र उपायुक्त द्वारा ही दिया जाता है इसलिए जाति एवं "क्रीमी लेअर" का प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सम्बन्धि व्यक्ति विशेष से उसकी जाति तथा आय आदि बारे वांछित सूचना/शपथ पत्र भी प्रमाण पत्र जारी करने वाली अथोर्टी द्वारा ही प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं ।

कृपया तदानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

हस्ता./–

अवर सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।